"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2018 —— माघ 10, शक 1939

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि. आ. प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्र. 3 सन् 1994) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 02/एल 8-9 (पार्ट) 2016/वित्त/विआप्र, दिनांक 20 जनवरी, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

पैरा 2 तथा 4 में, अंक तथा शब्द "31 जनवरी, 2017" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मई, 2018" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि. आ. प्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13/F-2017-04-04005/वित्त/वि. आ. प्र., दिनांक 29-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th January 2018

NOTIFICATION

No. 13/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC.— In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India read with Section 3 of the Chhattisgarh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. 02/L 8-9 (Part) 2016/Fin./FCC, dated 20th January, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

In Para 2 and 4, for the figures and word "31st January, 2017", the figures and word "31st May, 2018" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक 16/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 2/एफ-06-01001226/2017/वित्त/विआप्र, नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को अतिष्ठित करते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल में दिनांक 31 जनवरी, 2018 से 31 मई, 2018 तक वृद्धि करते हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्रमांक 16/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 16/F-2017-04-04005/वित्त/वि.आ.प्र., दिनांक 29-01-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th January 2018

NOTIFICATION

No. 16/F-2017-04-04005/2018/Fin./FCC.— In exercise of the powers conferred by Articles 243-I of the Constitution of India and in supersession of this Department's Notification No. 2/F-06-01001226/2017/Fin./FCC, Naya Raipur, dated 31st January, 2017, the Governor of Chhattisgarh, hereby, extends the tenure of the State Finance Commission from 31st January, 2018 to 31st May, 2018.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. SINGH, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.